

# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

## Rashtriya Madhyam' Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर भोपाल)  
Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautam nagar  
Tel: 91-755-2580076, Fax: 91-755-2583651, E-mail: rmsa.mp@gmail.com

क्रमांक/लोशिस/रामाशिअ/प्रशि./07/10-11/166  
प्रति,

भोपाल दिनांक 06 अप्रैल, 2011

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
2. समस्त सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला शैक्षिक समन्वयक  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी/  
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.
4. समस्त अतिरिक्त जिला परि.समन्वयक  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.

**बिषय:-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (Induction training programme) तैयारियों हेतु निर्देश।  
**संदर्भ:-** इस कार्यालय का पत्र क्रमांक. लोशिस/रामाशिअ/प्रशि./07/10-11, भोपाल दिनांक 10 मार्च 2011।

-0-

बिषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजियेगा, जिसके द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों (संविदा शिक्षक वर्ग-2) के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (Induction training programme) आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे।

2. इसी अनुक्रम में आपके अधीनस्थ संभाग/जिले से प्राप्त नवनियुक्त शिक्षकों (संविदा शिक्षक वर्ग-2) की जानकारी संकलित की गयी है जो कि परिशिष्ट-एक पर योजित है। जानकारी के अनुरूप कार्यरत संविदा शिक्षकों को उनके लिये निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का संपूर्ण दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।
3. गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन बिषय के संविदा शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण मुख्यतः दो तिथियों में यथा 18 अप्रैल 2011 एवं 9 मई 2011 को प्रारंभ होगा तथा इनमें भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तय है। कृपया अपने जिले की विभिन्न बिषयों के लिये निर्धारित संख्या की जानकारी हेतु परिशिष्ट-1 देखें। किन्तु यह स्वतंत्रता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों/संभागीय संयुक्त संचालकों को होगी कि वे प्रशिक्षणार्थियों को उनकी सुविधानुसार काउंसलिंग कर, तिथियाँ इस प्रकार आवंटित करें कि प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु संबंधित जिले के लिये निर्धारित संख्या (परिशिष्ट-1) आवश्यक रूप से पूरी हो जावे।
4. हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत बिषयों में संख्या कम होने के कारण केवल एक ही तिथि अर्थात् 18 अप्रैल 2011 को ही प्रारंभ होगा। अतः इन बिषयों में तिथि चयन की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। अतः समस्त प्रशिक्षणार्थियों को 18 अप्रैल के प्रशिक्षण में ही सम्मिलित होना होगा।
5. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रूपये 500/- अग्रिम राशि उसके विद्यालय के प्राचार्य द्वारा शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के खाते से उपलब्ध करायी जायेगी। इस राशि का उपयोग संबंधित

# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

## Rashtriya Madhyam Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर भोपाल)  
Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautam nagar  
Tel:91-755-2580076, Fax: 91-755-2583651, E-mail: rmsa.mp@gmail.com

-2-

प्रशिक्षणार्थी (संविदा शिक्षक वर्ग-2) द्वारा टीचिंग एड्स तैयार करने एवं प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध उपयोगी पुस्तकों के क्रय पर किया जा सकेगा। राशि का समायोजना प्रशिक्षणार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये केश मेमो/बिल के आधार पर किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को कठिन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में न्यूनतम संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कठिन परिश्रम के लिये तैयार करना है, जिससे वे न केवल अपने व्याख्यान बल्कि व्यवहार से छात्रों में श्रेष्ठ संस्कार दे सकें। प्रशिक्षणार्थियों से निम्नांकित अपेक्षाएँ हैं:-

- 6.1 किसी भी दशा में प्रशिक्षण प्राप्त करने से छूट नहीं है।
- 6.2 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने साथ ताले वाली अटेची/बाक्स साथ लावेंगे।
- 6.3 एक चादर बिछाने, एक ओढ़ने एवं एक कंबल आवश्यक रूप से साथ में लावेंगे।
- 6.4 योग एवं क्रीडा(खेल)गतिविधि के लिये पुरुष प्रशिक्षणार्थी एक हाफ पेंट, टी शर्ट एवं पी.टी./स्पोर्ट्स शू तथा महिला प्रशिक्षणार्थी सलवार, कमीज, दुपट्टा एवं पी.टी./स्पोर्ट्स शू आवश्यक रूप से साथ में लावेंगे।
- 6.5 आवास व्यवस्था में महिला पुरुषों के लिये पृथक-पृथक हाल में होगी। प्रशिक्षणार्थियों को सोने के लिये केवल फर्श/दरी (पलंग/खटिया नहीं) एवं गद्दा उपलब्ध होगा चादर एवं कंबल स्वयं का इस्तेमाल करना होगा।
- 6.6 मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिये मास्कवूटो रेपेलेंट क्रीम/कॉइल/बत्ती भी लानी होगी।
- 6.7 यद्यपि प्रशिक्षण में प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी किन्तु व्याख्यानों को नोट करने के लिये फुल साइज रूल्ड कोरे रजिस्टर एक रंगीन स्केच पेन का सेट, एक ड्राइंग बाक्स, जेल पेन, पेंसिल इत्यादि साथ में लानी होगी।
- 6.8 कक्षा 9 एवं 10 की अपने विषय (जिसके लिये नियुक्त हैं) की पाठ्यपुस्तकों साथ में लानी होंगी।
- 6.9 प्रशिक्षणार्थियों के लिये साधारण भोजन व्यवस्था प्रशिक्षण संस्था द्वारा की जावेगी, परन्तु बहुत स्वादिष्ट एवं अच्छे भोजन की अपेक्षा न करे तो बेहतर होगा। शरीर चलाने के लिये भोजन की महत्ता है। परन्तु भोजन के लिये ही शरीर है यह वाक्य अनुचित है।
- 6.10 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से सर्वोत्तम दर्जे का अनुशासन अपेक्षित है, प्रतिकूल आचरण की दशा में संबंधित प्रशिक्षण संस्था मुख्यालय के संयुक्त संचालक प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही जिसमें सेवा समाप्ति भी सम्मिलित है की अनुशांसा कर सकेंगे। उक्त अनुशांसा के अनुपालन में संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की हैसियत से उक्त दण्ड पारित करेंगे।

7. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिवसों में प्रशिक्षण जारी रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान पड़ने वाले धार्मिक

# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

## Rashtriya Madhyam Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर भोपाल)  
Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautam Nagar  
Tel: 91-755-2580076, Fax: 91-755-2583651, E-mail: rmsa.mp@gmail.com


-3-

त्यौहारों को समस्त प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण स्थल पर ही एक साथ मनाकर सामाजिक सद्भाव का संदेश देंगे।

8. उपरोक्तानुसार तिथियों में उपस्थिति के लिये समस्त प्रशिक्षणार्थियों की दिनांक 8 अप्रैल 2011 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसिलिंग की जाकर उन्हें उपरोक्तानुसार तैयारी/ अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश समक्ष में दिये जायें।

9. काउंसिलिंग उपरांत प्रत्येक बैच के लिये भारमुक्त किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की नामवार सूची उसी दिन (दिनांक 8 अप्रैल 2011) को ई-मेल से अपने संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण संस्था एवं राज्य अकादमिक समन्वयक को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

10. उक्त पत्र की प्रतिलिपि संबंधित प्रशिक्षणार्थी को रिलीविंग लेटर के साथ संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास उपलब्ध करायेंगे ताकि सर्व संबंधित पूरी तैयारियों एवं मनोयोग के साथ प्रशिक्षण में निर्धारित तिथि एवं समय (18 अप्रैल/9 मई 2011 प्रातः अथवा उसकी पूर्व संध्या) पर प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित हो सकें। विलम्ब अक्षम्य होगा।

  
(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 08 अप्रैल, 2011

पृष्ठांक./लोशिस/रामाशिअ/प्रशि./07/10-11/167  
प्रतिलिपि.

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश।
  2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
  3. आयुक्त आदिवासी विकास/राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल।
  4. अपर संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल।
  5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
  6. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन/ग्वालियर
  7. संचालक राज्य विज्ञान संस्थान, जबलपुर/आंग्ल भाषा प्रशिक्षण/पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल।
  8. सुश्री बियास, कंसल्टेंट, टी.एस.जी.एडसिल, भारत सरकार नई दिल्ली।
  9. श्री मुकुलजी कानिटकर, सचिव, स्वामी विवेकानंद केन्द्र, नई दिल्ली <mukul@vkendra.org>।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

## Rashtriya Madhyam Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर भोपाल)  
Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautam nagar  
Tel: 91-755-2580076, Fax: 91-755-2583651, E-mail: rmsa.mp@gmail.com

कमांक / लोशिस / रामाशिअ / प्रशि. / 07 / 10-11 / 164

भोपाल दिनांक 06 अप्रैल, 2011

प्रति,

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
2. अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
3. संचालक राज्य विज्ञान संस्थान, जबलपुर / आंग्ल भाषा प्रशिक्षण / पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल।
4. प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन / ग्वालियर

**बिषय:-** आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (Induction training programme) तैयारियों हेतु निर्देश।

**संदर्भ:-** इस कार्यालय का पत्र कमांक. लोशिस / रामाशिअ / प्रशि. / 07 / 10-11 / 40-41, भोपाल दिनांक 10 मार्च 2011.

-0-

बिषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजियेगा, जिसके द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों (संविदा शिक्षक वर्ग-2) के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (Induction training programme) आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे।

2. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति प्रशिक्षणार्थी लागत कम स्वीकृत होने एवं आपके संस्थान द्वारा अधिक लागत प्रस्तावित करने तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण शासकीय हायर सैकेण्डरी स्कूलों / शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों को भी प्रशिक्षण स्थल बनाया गया है। बावजूद इसके ये प्रशिक्षण आपके नेतृत्व एवं सघन पर्यवेक्षण में संचालित होंगे। विभिन्न बिषयों में उपलब्ध कुल 3278 प्रशिक्षणार्थियों के लिये निम्नानुसार प्रशिक्षण संस्थायें नोडल संस्था के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी:-

- 2.1 हिन्दी बिषय-(88 प्रशिक्षणार्थी)-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन।
- 2.2 अंग्रेजी बिषय-(71 प्रशिक्षणार्थी)-संचालक आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान, म.प्र.भोपाल।
- 2.3 गणित बिषय-(950 प्रशिक्षणार्थी)-संचालक गणित प्रशिक्षण केन्द्र, मा.शि.मण्डल, भोपाल।
- 2.4 विज्ञान बिषय-(910 प्रशिक्षणार्थी)-संचालक राज्य विज्ञान संस्थान, जबलपुर।
- 2.5 सामा.विज्ञान-(1210 प्रशिक्षणार्थी)-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर।
- 2.6 संस्कृत (46 प्रशिक्षणार्थी)-संचालक, पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र.भोपाल

3. नोडल प्रशिक्षण संस्था संचालनालय की आवश्यकताओं के अनुरूप मॉड्यूल तैयार कर प्रशिक्षण के एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी होंगी। विगत बैठक में आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

4. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ शासकीय हायर सैकेण्डरी स्कूलों को भी प्रशिक्षण स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अतः नोडल प्रशिक्षण संस्था को उन प्रशिक्षण केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा।

5. प्रशिक्षण के पूर्व प्री टेस्ट, प्रतिदिन होम असाइनमेंट, साप्ताहिक परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कर उनका कियान्वयन कराया जाना चाहिये। प्रथम साप्ताहिक परीक्षा में डी एवं ई ग्रेड के प्राप्तांक पाने वाले

# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

## Rashtriya Madhyam Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर भोपाल)  
Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautam nagar  
Tel:91-755-2580076, Fax: 91-755-2583651, E-mail: rmsa.mp@gmail.com

-2-

- प्रशिक्षणार्थियों के लिये रेमेडियल कक्षाएँ तथा ए,बी,सी,ग्रेड के प्रशिक्षणार्थियों के लिये विशेष कक्षाएँ द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ हो जानी चाहिये।
6. भाषाओं के प्रशिक्षण को इस प्रकार डिजाइन किया जाये कि प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों में उत्तम संभाषण कौशल विकसित हो सके तथा सरल भाषा में वे व्यवहार करने में सक्षम हो सकें।
7. प्रशिक्षण स्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जावे। प्रशिक्षण स्थल पर नीतिवाक्य, प्रेरक फोटोग्राफ्स एवं कोटेशन लगाये जायें।
8. प्रशिक्षण स्थल पर बिषय संबंधित एवं प्रेरणास्पद पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध करायी जायें। प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थी अपने स्कूलों से लायी अग्रिम राशि से अधिकतम 400 रुपये की पुस्तकें क्रय कर सकेंगे।
9. दोनों समय का भोजन निम्नानुसार उच्चारण/मनन उपरांत ही प्रारंभ किया जाये:-  
“अन्न ग्रहण करने से पहिले विचार मन में करना है,  
किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है।  
हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में,  
लग जाये तन,मन,धन मेरा मातृभूमि की सेवा में ॥”
10. सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनका फोटो युक्त लेमिनेटेड परिचय पत्र प्रथम दिवस ही प्रदान किये जायें, जिसमें “राष्ट्ररूषि अंकित हो।
11. आवास एवं भोजन व्यवस्था का दायित्व संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक तथा प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्था के प्रमुख का होगा।
12. प्रतिदिन 7 कालखण्ड निर्धारित रहेंगे। प्रत्येक कालखण्ड 60 मिनट का होगा। प्रथम कालखण्ड पिछले दिवस के प्रशिक्षण पर आधारित मॉक टीचिंग के लिये आरक्षित होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को संबंधित बिषय की कोचिंग के लिये पूर्व से पंजीकृत/आमंत्रित किया जायेगा। इस कोचिंग कक्षा में मॉक टीचिंग का प्रदर्शन कराना होगा। शेष 6 कालखण्डों में रिसोर्स प्रशिक्षकों द्वारा अधिकाधिक participation को लक्षित करते हुये व्याख्यान दिये जायेंगे। कालखण्ड के अंतिम 5/10 मिनट प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं के समाधान के लिये समर्पित होने चाहिये। इस प्रकार 07 कालखण्ड के लिये रुपये 100/- प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम 3 कालखण्डों के लिये रिसोर्स प्रशिक्षकों को मानदेय दिया जा सकेगा। पहिले कालखण्ड का मानदेय संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्रमुख को देय होगा।
13. प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षा में ग्रीन बोर्ड, व्हाइट मार्कर बोर्ड, फ्लिप चार्ट बोर्ड एवं प्रोजेक्शन बोर्ड आवश्यक रूप से उपलब्ध एवं उपयोग में आना चाहिये। व्याख्यान में एल.सी.डी. प्रोजेक्टर का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये।
14. सांयकालीन समय में प्रतिदिन कंप्यूटर हेंड-आन अभ्यास जिसमें पोर्टल से जानकारी प्राप्त करना और ई मेल भेजना/प्राप्त करना सम्मिलित है अवश्य कराया जानी चाहिये।
15. हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत बिषयों में संख्या कम होने के कारण केवल एक ही तिथि अर्थात् 18 अप्रैल 2011 को ही प्रारंभ होगा इसलिये इन बिषयों में तिथि चयन की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। अतः समस्त प्रशिक्षणार्थियों को 18 अप्रैल के प्रशिक्षण में ही सम्मिलित होना होगा।

# राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

## Rashtriya Madhym Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर भोपाल)

Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautam nagar


Tel: 91-755-2580076, Fax: 91-755-2583651, E-mail: rmsa.mp@gmail.com

-3-

16. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रूपये 500/- अग्रिम राशि उसके विद्यालय के प्राचार्य द्वारा शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के खाते से उपलब्ध करायी जायेगी। इस राशि का उपयोग संबंधित प्रशिक्षणार्थी (संविदा शिक्षक वर्ग-2) द्वारा टीचिंग एड्स तैयार करने एवं प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध उपयोगी पुस्तकों के क्रय पर किया जा सकेगा। राशि का समायोजन प्रशिक्षणार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये केश मेमो/बिल के आधार पर किया जा सकेगा।

17. समस्त प्रशिक्षणार्थियों ( आदिवासी विकास विभाग के अधीनस्थ स्कूलों में कार्यरत भी सम्मिलित हैं) को आने जाने का न्यूनतम किराया रेल/बस मार्ग से प्रशिक्षण समाप्ति के पूर्व नगद उपलब्ध कराया जाये।

18. प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विभागीय गतिविधि है जो कि अकादमिक गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होती है। इस गतिविधि के प्रति स्थानीय मीडिया में कई प्रकार के भ्रम रहते हैं जिससे नकारात्मक प्रचार प्रसार होता है। अतः संभागीय/प्रशिक्षण संस्था के प्रमुख होने के नाते यदि आप आवश्यक समझे तों प्रशिक्षण कार्यक्रम में औपचारिक रूप से मीडियाकर्मियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षणार्थियों से संवाद को facilitate करा सकते है जिससे प्रशिक्षण से संबंधित सकारात्मक तथ्य भी जनसामान्य तक पहुँच सकें।



(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक अप्रैल, 2011

पृष्ठांक./लोशिस/रामाशिअ/प्रशि./07/10-11/165

प्रतिलिपि.

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश।
  2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
  3. आयुक्त आदिवासी विकास/राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल।
  4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
  5. सुश्री बियास, कंसल्टेंट, टी.एस.जी.एडसिल, भारत सरकार नई दिल्ली।
  6. श्री मुकुलजी कानिटकर, सचिव, स्वामी विवेकानंद केन्द्र, नई दिल्ली <mukul@vkendra.org>।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश